रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220965
CG-DL-E-07082020-220965

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2314] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
No. 2314] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

का.आ. 2612(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया रा.रा. संख्या 52) के 318+500 कि.मी. से 346+540 कि.मी. तक के भूखण्ड (दरा-तीनधार सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया रा.रा. संख्या 52) के 318+500 कि.मी. से 346+540 कि.मी. तक के भूखण्ड (दरातीनधार खण्ड)
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		**जिले का नाम: झालावाड़**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: झालरापाटन					
गांव का नाम: भंवरासा					
1	1462/534	निजी	माल सोयम	0.2650000(हेक्टेयर)	0.2650000
गांव का नाम: हरीपुरा					
1	317/30	निजी	बीड़	0.0029000(हेक्टेयर)	0.0029000
2	390/41	निजी	चाही दोयम, जाव दोयम	0.0122000(हेक्टेयर)	0.0122000
गांव का नाम: झालरापाटन					
1	3311/55	निजी	बीड़	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
2	3409/1980	निजी	नहरी प्रथम	0.0113000(हेक्टेयर)	0.0113000
3	3625/1887	निजी	नहरी प्रथम	0.0520000(हेक्टेयर)	0.0520000
गांव का नाम: रलायता					
1	713/375	सरकारी	गै.मु. आवासीय भूमि	0.0186000(हेक्टेयर)	0.0186000
2	974/289	निजी	जाव सोयम	0.5060000(हेक्टेयर)	0.5060000
			कुल	**0.9080**	**0.9080**

[फा. सं. NHAI/NH No. 12 (New NH No. 52)/LA/Kota&Jhalawar/FTS-129/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2020

S.O. 2612(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 12 (New NH No. 52), in the stretch of land from Km. 318+500 to Km. 346+540 (Darah-Teendhar Section) in district of Jhalawar in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Officer, Jhalawar, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 318+500 Km. 346+540 (Darah-Teendhar Section) of the National Highway No. 12 (New NH No. 52) in the District of Jhalawar in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN	**District: JHALAWAR**				
S.No	**Survey / Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Jhalrapatan					
Village: Bhanwarsa					
1	1462/534	Private	Maal Third	0.2650000(Hectare)	0.2650000
Village: HARIPURA					
1	317/30	Private	Bid	0.0029000(Hectare)	0.0029000
2	390/41	Private	Chahi Second, Jav Second	0.0122000(Hectare)	0.0122000
Village: Jhalrapatan					
1	3311/55	Private	Bid	0.0400000(Hectare)	0.0400000
2	3409/1980	Private	Canal First	0.0113000(Hectare)	0.0113000
3	3625/1887	Private	Canal First	0.0520000(Hectare)	0.0520000

Village: Ralayta					
1	713/375	Government	G.M. Residential Land	0.0186000(Hectare)	0.0186000
2	974/289	Private	Jav Soyam	0.5060000(Hectare)	0.5060000
Total				**0.9080**	**0.9080**

[F. No. NHAI/NH No. 12 (New NH No. 52)/LA/Kota&Jhalawar/FTS-129/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM